# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0155 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 23:18 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 8 |
| 4 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 12 |
| 5 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/06/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर 4 **Time From (समय से):** 12:05 बजे **Time To (समय तक):** 10:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 23:18:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KASBA LUNKARANSAR, JILA BIKANER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Ashish Kumar

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1987 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | plot no.60, Basant vihar, jhunjhunu, Kotwali JhunJhunu, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | plot no.60, Basant vihar, jhunjhunu, Kotwali JhunJhunu, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGAL KISHOR | | पिता:SATPAL | 1. A-4,SARLA FARM,BICHHWAL BAYPASS,HUSANGSAR,BICHHWAL,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | KAPADIA KIRANBHAI NARANBHAI | | पिता:NARANBHAI | 1. B-504,OPPOSITE YAMUNA VADI JANJRA ROAD, KALPVAROOP TOWNSHIP, JUNAGARH,जूनागढ़,गुजरात,INDIA |
| 3 | GANPAT | | पिता:MANAKRAM | 1. GODAWAS,KALYANPUR, बालोतरा,RAJASTHAN,INDIA |
| 4 | SATPALSINGH JAJ | | पिता:MANJEETSINGH | 1. SECTOR NO 05,ADARSH NAGAR,FALODI,फलौदी, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAJASTHAN,INDIA |
| 5 | SUNIL KUMAR SETIYA | | पिता:NATTHURAM SETIYA | 1. 13/1002,MALVIYA NAGAR JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA |
| 6 | SAWTANTRA KUMAR JHYANI AND OTHERS | | पिता:SURESH KUMAR JHYANI | 1. B-35,GALI NUMBAR 05,TILAKNAGAR,JAINARAYAN VYAS COLONY,BIKANER,RAJASTHA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 2,45,17,810.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 2,45,17,810.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

श्रीमान् जी,निवेदन है कि दिनांक 06.06.2026 को ब्यूरो मुख्यालय से श्री राजेष दुरेजा उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर से एक सूत्र सूचना मन अति. पुलिस अधीक्षक को इस आषय की प्राप्त हुई कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को विष्वस्त सूत्रो से इस सार की आसूचना प्राप्त हुई की श्री जुगल मोबाईल नम्बर श्री किरण कपाड़िया मोबाईल नम्बर श्री भागीरथ मोबाईल नम्बर श्री गणपत मोबाईल नम्बर श्री सुनिल सेतिया मोबाईल नम्बर तथा श्री सतपाल मोबाईल नम्बर बीज वितरण प्रक्रिया में स्वयं रिष्वत देकर लाभ प्राप्त कर रहे है अथवा सम्बधिंत लोकसेवको व अन्य के लिये रिष्वत राषि प्राप्त कर रहे है तथा उन्हे रिष्वत राशि पहूंचा रहे है। चूंकि यह प्रकरण राजस्थान के कृषको के लिये उन्नत तथा गुणवता पूर्ण बीजो की उपलब्धता तथा हमारे जीवन के लिये जरूरी खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ होने के कारण उक्त मोबाईल नम्बरो को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री भरतलाल सउनि, श्री संजय बसेरा कानि.177, श्री राहूल शर्मा हैड कानि.80, श्री अनिल हैड कानि. 147, श्री हिम्मतसिंह हैड कानि.146 तथा लक्ष्मीनाराण शर्मा हैड कानि.15 द्वारा सुना गया। अन्तावरोध अवधि में वार्ताओ को सुनने पर यह प्रकट हुआ कि श्री किरण कपाड़िया के मूंगफली के बीजो के गोदाम पर छापा मारा गया था तथा वहां से सैम्प्ल लिये गये थे। उन्होने उनके ब्रांड गजराज के बीज बेचने पर भी रोक लगा दी थी। इस कारण श्री किरण कपाड़िया से उनके गोदाम के बीज वापस गुजरात ले जाने तथा इस मामले को दबाने की एवज में करीब एक करोड़ बीस लाख रूप्ये श्री जुगल निदेषक, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से प्राप्त किये है तथा करीब 60 लाख रूपये श्री गणपत द्वारा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से प्राप्त किये है। वार्ताओ से यह भी ज्ञात हुआ है कि कल दिनांक 07.06.26 को जुगल अपने भांजे श्री स्वतंत्र के माध्यम से इस रिष्वत राशि में से 90 लाख रूपये गंगानगर भिजवा रहा है। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में निर्देशानुसार दिनांक 07.06.2026 को मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, श्रीमति पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, श्री जगदीश चौधरी सउनि, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. श्री मनोहरलाल कानि., कृष्णमोहन कानि., कन्हैयालाल कानि. श्री भगवानदास कानि., श्री जमील अहमद कानि. स्वतंत्र गवाहान श्री धर्मपाल चौधरी सूचना सहायक, श्री विजय बारिया जरिये सरकारी वाहन गजेन्द्रसिंह व प्राइवेट वाहन से ब्यूरो चौकी एसयू बीकानेर से रवाना होकर आसूचना प्राप्त करते हुये लूणकरणसर पहुंचा। पुलिस थाना लूणकरणसर के सामने बीकानेर से सूरतगढ जाने वाली

लोक परिवहन बस नम्बर आरजे.07 पीबी.8319 को रूकवाया गया। उक्त बस के परिचालक श्री धर्मवीरसिंह के मोबाईल नम्बर व चालक श्री लालजी पुरी के मोबाईल नम्बर होने पाये गये। बस को चैक किया गया तो बस में सीटों के अनुसार सवारीयों से भरी हुई थी। बस में चालक के विपरित दिशा की लाईन में पीछे की एक सीट को छोड़कर आगे वाली सीट पर एक युवक बैठा हुआ था, जो कि अचानक से चैंकिग करने पर उक्त युवक घबरा गया और गर्दन निचे की और करते हुए मोबाईल में कुछ देखने लगा। जिस पर उक्त युवक का नाम पूछने पर अपने नाम स्वतंत्र कुमार ज्याणी होना बताया। उक्त युवक की पहचान व पुष्टि सूत्र सूचना के दौरान प्राप्त हुलिया व नाम से होनी पाई गई। जिस पर युवक द्वारा उसके साथ ले जाए जा रहे सामान बैग आदि के बारे में पूछा गया तो युवक ने अपने पास कोई सामान होना नही बताया। बस परिचालक श्री धर्मवीरसिंह से उक्त युवक के बस में चढने के स्थान व युवक द्वारा परिवहन की जा रहे सामान के जानकारी ली गई तो परिचालक श्री धर्मवीरसिंह द्वारा उक्त युवक श्री स्वतंत्र कुमार बीकानेर कृषि उपज मंडी तिराहे से बस में चढना बताया गया है। उक्त युवक श्री स्वतंत्र कुमार द्वारा अपने साथ एक स्लेटी लगैज बैग लेकर बैठना बताया। बस में उक्त युवक की सीट के आस पास चेक करने पर युवक के पास में बस के निचे फलोर पर एक सलेटी कलर की बड़ा लगेज बैग रखा होना पाया गया। आस-पास कोई अन्य बैग तथा कोई सवारी नही थी। परिचालक द्वारा उक्त सलेटी कलर की बैग उक्त युवक श्री स्वंतत्र कुमार का होना पहचान कर बताया तथा बीकानेर से सवार बस में अन्य यात्रीगण द्वारा भी उक्त सलेटी कलर की बैग युवक श्री स्वतंत्र कुमार द्वारा लेकर चढना बताया गया। बस में स्वार किसी यात्री द्वारा उक्त संदिग्ध बैग पर अपना दावा नही किया। स्वतंत्र साक्षीगण के सामने उपरोक्त आकस्मिक चैंकिग कार्यवाही करते हुए बैग को बस से निचे उतरवाया जाकर युवक को स्वयं तथा उपरोक्त साक्षीगण तथा ब्यूरो स्टाफ का संक्षिप्त परिचय दिया गया। उक्त स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण उक्त युवक श्री स्वतंत्र कुमार तथा संदिग्ध बैग को हमरा लेकर पुलिस थाना लूणकरणसर में पहुंचें। उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष युवक श्री स्वतंत्र कुमार से पूछताछ करने पर युवक ने अपना विवरण श्री स्वतंत्र कुमार ज्याणी पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार ज्याणी, उम्र 21 वर्ष, जाति ज्याणी बिश्नोई, पेषा पढाई, निवासी 12 केएनडी, पुलिस थाना रावला मण्डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल किराये का मकान नम्बर बी-35 गली नम्बर 05, तिलकनगर, पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर तथा मोबाईल नम्बर व होना बताया। युवक श्री स्वतंत्र कुमार से उक्त लगेज बैग के बारे में पूछने पर स्वंय का बैग होने से इन्कार किया। उक्त युवक श्री स्वतंत्र कुमार से गंतव्य स्थल के बारे में जानकारी लेने पर अचानक चुप हो गया। पूछताछ में युवक काफी सर्तकता व चतुराई से प्रतिक्रिया देता रहा व लगातार उक्त बैग अपना नही होना बताया। उक्त बैग को उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष खुलवाकर चैक किया गया तो एक कपड़े की थैली में एक पैन्ट शर्ट, बेल्ट, अण्डर वियर, बनियान, जुराब होना पाई गई। कपड़े की थैली के निचे दो बड़े थैले होना पाये गये। एक कपड़े की थैली जिस पर न्यू खण्डेवाल मिष्ठान भण्डार लिखा हुआ था। उक्त कपडे़ की थैली पर मुहं पर एक सफेद कागज लगाया हुआ, जिसको हटा कर चैक किये जाने पर 500-500 रूपये की कुल 14 गड्डिया (प्रत्येक गड्डी 500 रूपयें के 500 नोट होकर कुल 2.50 लाख रूपये के अनुसार) प्रथम दृष्ट्या राशि 35 लाख रूपये होना पाई गई। इस प्रकार बैग में मिले दुसरे प्लास्टिक थैले जिस पर विष्वास सीड्स आदि विवरण अंकित है, जिसके मुहं पर एक सफेद कागज लगाया हुआ, जिसका हटा कर चैक किये जाने पर 500-500 रूपये की कुल 20 गड्डिया (प्रत्येक गड्डी 500 रूपयें के 500 नोट होकर कुल 2.50 लाख रूपये के अनुसार) प्रथम दृष्ट्या राशि 50 लाख रूपये होना पाई गई। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या कुल राशि 85 लाख रूपयें होना पाई गई। उक्त युवक श्री स्वतंत्र कुमार से उक्त संदिग्ध राशि के बारे में पूछने पर लगातार उक्त राशि से स्वंय का कोई सम्बन्ध नही होना बताया है। युवक श्री स्वंतत्र कुमार से उक्त संदिग्ध राशि के स्त्रोत व व्यक्ति तथा लक्षित स्थल व व्यक्ति के बारे में पूछने पर युवक अचानक चुप हो गया तथा कुछ भी जानकारी होने से मना करता रहा युवक की पृष्ठ भूमि के बारे में पूछा गया तो युवक ने इस वर्ष 2026 में बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा राजकीय डुंगर कॉलेज बीकानेर से देना बताया। युवक ने अपने पिता श्री सुरेश कुमार का स्वर्गवास वर्ष 2021 में होना बताया। युवक श्री स्वतंत्र कुमार से संदिग्ध बैग में मिले जुराब (जोकी कम्पनी) अण्डर वियर (ऑन कम्पनी) बनियान (लेक्स कम्पनी की जो 85 सेन्टीमीटर) हूबहू अपने शरीर पर धारण किये हुवे से मिलान होनी पाई जाने पर उक्त युवक से पूछा गया तो उक्त युवक चुप हो गया। बैग को और चैक करने पर युवक द्वारा दैनिक उपयोग का सामान टूथपेस्ट, तौलिया, पावर बैक, सेन्ट होना पाये गये, इसके अलावा बैग में अन्य कोई सामान नही पाया गया है। युवक श्री स्वतंत्र कुमार की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री धमेन्द्र चौधरी से लीवाई गई तो उसके पास दो सैमसंग कम्पनी के मोबाईल नम्बर जिसमे सिम नम्बर जिओ कम्पनी का तथा मोबाईल नम्बर वोडाफोन कम्पनी का होना युवक ने बताया। उक्त युवक के पास 1760 रूपये नकदी पाये गये। उसके अलावा अन्य कोई वस्तु नही पाई गई। संदिग्ध राशि अधिक मात्रा में होने के कारण गिनने हेतु श्री जयपाल पुत्र श्री हनुमानसिंह निवासी तिलोको का बास, जिला झुन्झुनु हाल शराब व्यवसायी लूणकरणसर से निवेदन किये जाकर उनके द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में ली जाने वाली नोट गिनने की मशीन सहित बुलाये गये। श्री जयपाल, दोनो स्वतंत्र साक्षीगण तथा संदिग्ध युवक श्री स्वतंत्र कुमार के समक्ष उक्त बैग में पाये गये दोनो स्वंतत्र साक्षीगण की सहायता से गिनवाया जाने पर कपड़े की थैली जिस पर न्यू खण्डेवाल मिष्ठान भण्डार लिखा हुआ में 500-500 रूपये की कुल 14 गड्डिया (प्रत्येक गड्डी 500 रूपयें के 500 नोट होकर कुल 2.50 लाख रूपये के अनुसार) राशि 35 लाख रूपये होना पाई गई। इस

प्रकार दुसरे प्लास्टिक थैले जिस पर विष्वास सीड्स आदि विवरण अंकित, में 500-500 रूपये की कुल 20 गड्डिया (प्रत्येक गड्डी 500 रूपयें के 500 नोट होकर कुल 2.50 लाख रूपये के अनुसार) राशि 50 लाख रूपये होना पाई गई। इस प्रकार दोनों थैलों में कुल वास्तविक राशि 85 लाख रूपयें होना पाई गई। युवक श्री स्वतंत्र कुमार से अब तक बार-बार तसल्ली दी जाकर की जाने वाली पूछताछ के दोरान अधिकतर समय चुपी धारण रखी। उक्त कार्यवाही के दौरान युवक के मोबाईल फोन पर लगातार श्री जुगल किशोर बिश्नोई व सुनीता बिश्नोई के मोबाईल नम्बर तथा श्री विजय बिश्नोई एफपीओ नोखा नाम के सामान्य, व्हाट्सप कॉल, विडियो कॉल आते रहे। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल फोन में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर श्री जमील अहमद कानि. से करवाई गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री जुगल निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम राजस्थान जयपुर (लोक सेवक), प्राइवेट व्यक्तियों श्री स्वतंत्र कुमार, श्री किरण कपाड़िया, श्री भागीरथ, श्री गणपत, श्री सुनिल सेठिया, श्री सतपाल व अन्य का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018), 61(2) बीएनएस 2023 प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया गया जिस पर युवक श्री स्वतंत्र कुमार को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान/पूछताछ की गई। सूत्र सूचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 07.06.26 को आकस्मिक चैकिंग के दौरान श्री जुगल निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने भांणजे श्री स्वतंत्र कुमार के माध्यम से अवैध राषि को श्रीगंगानगर अज्ञात व्यक्ति के पास भिजवाया जाने का भ्रष्ट आचारण करना प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया। उक्त आकस्मिक चैंकिग के दौरान प्राप्त संदिग्ध राशि 85 लाख रूपये को पुनः उन्ही दो थैलो में उसी अवस्था में रखा जाकर वापस स्लेटी रंग के लगैज बैग में रखकर खुली अवस्था में जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अलावा युवक श्री स्वतंत्र कुमार से सम्बन्धित दैनिक उपयोग के वस्त्र व पाया गया अन्य सामान को कपड़े की थैली में रखकर लगैज बैग में पूर्व की भांति सुरक्षार्थ रखा गया। युवक श्री स्वतंत्र कुमार की जामा तलाषी में मिली राशि 1760 रूपये को सुरक्षार्थ कब्जा एसीबी लिया गया। युवक श्री स्वतंत्र कुमार के पास पाये गये दोनो मोबाईल फोन एण्ड्रोइड सैमसंग कम्पनी के विष्लेषण हेतु पासवर्ड पूछने पर बताने से इन्कार किया गया। उक्त दोनो मोबाईल को वास्ते अनुसंधान अनशील्ड रखा जाकर कब्जा एसीबी लिया गया है । ब्यूरो मुख्यालय की सुत्र सूचना के आधार पर श्री किरण कपाड़िया, श्री भागीरथ, श्री गणपत, श्री सुनिल सेतिया, श्री सतपाल व अन्य की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया होनी पाई गई। उक्त चैकिंग कार्यवाही के क्रम में युवक श्री स्वतंत्र कुमार के द्वारा बीकानेर शहर में गत रात्रि उपयोग में लिए गए निवास स्थान म.न. बी-8, राधे कृष्णा, आशा निवास, मयूर विहार कॉलोनी, हल्दीराम प्याउ के पास, बीकानेर की चैकिंग श्री विनोद कुमार अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, चैकी बीकानेर द्वारा ली जाकर कार्यवाही से सम्बधिंत दस्तावेज पेश किये। जिनका अवलोकन किया गया श्री विनोद कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खाना तलाशी हेतु मय टीम के मयूर विहार उक्त मकान पर पहुंचे। श्री जुगल का किराये का मकान होने की पुष्टि होने पर मकान की खाना तलाशी हेतु मकान में प्रवेश करना चाहा, परन्तु घर पर मौजूद महिला व बच्चियों ने कार्यवाही का विरोध किया तथा गेट बंद रखा। श्री जुगल के किराये के मकान में रह रही महिला व बच्चियों ने कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से अपने मकान में रखी नगद राशि से भरे हुए दो प्लास्टिक के कट्टे छत के उपर से पश्चिम दिशा मकान नंबर बी 8 के पीछे स्थित मकान नंबर बी-23 के पास स्थित खाली प्लॉट में फेंककर ब्यूरो टीम को उलझाकर इनके परिवार के लड़कियां कार्यवाही से घबराने का कहकर मकान नंबर बी-23 में जाकर मामा का मकान होना संबोधित करते हुए खाली प्लॉट में फैंका गया रूपयो से भरा हुआ प्लास्टिक का कट्टा मकान नंबर बी-23 में रखने का प्रयास किया गया, इसी दौरान ब्यूरो टीम सदस्य द्वारा उक्त प्रयास देखने पर तत्काल टीम सदस्य उक्त स्थान पर पहुंचे तथा श्री विनोद कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त कट्टे में मिली नगद राशि जब्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें श्री जुगल के परिवारजनों के नाम की बैंक पासबुके, चैकबुके, जमा पर्चियां तथा 45,56,610/-रूपये नगद कट्टे में रखे विभिन्न बैगो व कैरीबेग में मिले, जो जब्त किये गये हैं। मकान नंबर बी-8 की तलाशी का श्री जुगल की पत्नी व लड़कियों द्वारा विरोध करने पर स्थानीय पुलिस थाना से इमदाद हेतु बुलाकर श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो इन्टे. बीकानेर से मकान नंबर बी-08, मयूर विहार की खाना तलाशी प्रारंभ करवाई गई। श्री विनोद कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मकान नंबर बी-23 में कार्यवाही की फर्द तैयार करते वक्त मकान में रह रहे श्री राहुल सिंह ने टीम सदस्यों को बताया कि हमारे मकान के लैटबाथ में एक प्लास्टिक का संदिग्ध कट्टा भरा है जो हमारा नहीं है। इस पर श्री विनोद कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मकान के लैटबाथ में रखे हुए प्लास्टिक के कट्टे की विडियोग्राफी करवाते हुए गवाहान से चैक करवाया गया तो कट्टे में 500-500 के नोटों के बंडल भरे हुए दिखाई दिये। जिन्हें गिनवाने पर 1,0148200/-रूपये होना पाये गये। आरोपी के परिजनों द्वारा कट्टों में खाली प्लॉट में फैंकी गई राशि व मकान बी-23 के लैटबाथ में रखी गई कुल राशि 1,47,04810/-रूपये होना पाई गई, जो जब्त की गई। श्री जुगल के किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान श्री जयकुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा 13,13,000/-रूपये व दस्तावेज जब्त किये गये है। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यवाही के दौरान संदिग्ध राशि कुल 1,60,17,810/-रूपये जब्त किये गये हैं। कार्यवाही के दौरान दिनांक 07.06.26 को श्री राजेश दुरेजा उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर से प्रकरण से सम्बधिंत अन्तावरोध वार्ताओ का सार प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है- 1. दिनांक 29.05.2026 समय 07.18.10 पर जुगल किशोर के मोबाईल नम्बर एवं

सतीश कुमार के मोबाईल नम्बर के मध्य हुयी वार्ता में सतीश कुमार ने कहा कि मेरी बात हुई थी उनसे तो अभी उनका रूसां मनाई चल रहा है। मैं आपको फोन कर दूंगा, मण्डे को बुला लुगां आपको। मैं सण्डे को फोन कर दूंगा। मैनें कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा मण्डे तक, इससे ज्यादा क्या करोगे तुम। तो कहा कि ठीक है सर। तो आप आज मत आना। इस पर जुगल ने कहा कि मण्डे को जाउंगा वहां मैं तो, सण्डे तक उनको कहना कि करवा दें। तो मण्डे को वहीं से निकल जाउं। तो सतीश कुमार ने कहा कि अभी मेरे ध्यान से इनके इक्टठे नहीं हुऐ हैं। तो मैं आपको बता दूंगा। इक्ठठा हो जाने दो। सण्डे मण्डे जब आओेे तब कर देगें काम। हनुमानगढ वाले भी उचां निचा हो रहे हैं, तो इनको भी लाईन पे ले आउंगा मैं। राजेश को आप रिलेक्षेशन मत देना। तो जुगल ने कहा कि कोई रिलेक्षेशन नहीं है। तो इस पर सतीश कुमार ने कहा कि वो ही सबसे ज्यादा उपर निचे हो रहा है। सारा मामला गडबड़ करने वाला वो ही है। तो जुगल ने कहा कि मैं बात करता हूं तो सतीश कुमार ने बात करने से मना किया। 02.दिनांक 29.05.2026 समय 20.10.58 पर सतपाल के मोबाईल नम्बर व किरण के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता मे सतपाल ने कहा कि जुगल का चला के फोन आया मेरे पे अभी सामने से, क्योंकि शाम को अपना हो गया था। मेरे को बोला अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किरण ने कहा कि जोधपुर डिपार्टमेंट की तो बोल देना था कि खुब परेशान किया। तो सतपाल ने कहा कि वो तो मैंने बोल दिया तो बोला कि सारे सेम्पल जयपुर ही मंगा रहा हूं और कहा कि खुल्ला खेलो। तो किरण ने कहा कि उसको ये तो कहना पडे़गा ना। वन पैकेट तो निकालना पडेगा ना, कैसे भी करके। सीजन तो आपके नाम हो गई। 03. दिनांक 30.05.2026 समय 23.29.35 पर सतपाल के मोबाईल नम्बर व किरण के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में सतपाल ने कहा कि जुगल से लास्ट बात हुई कि वो बोला कि ऐसा अरेजं कर देगे कि आपको गुजरात माल वापस नही ले जाना पडे़गा। रिजल्ट से पहले माल डिस्पेच का आर्डर करवा देगें व उम्मेद सिंह उनको खाना खिला के घर जा रहा है। तो किरण ने कहा कि अपने को एक हफ्ता निकालना है। मण्डे को सीट में डाल के सटरडे को फ्री कर दें। 04. दिनांक 31.05.2026 समय 13.31.02 पर गणपत के मोबाईल नम्बर एवं महिला तत्समय उपयोगकर्ता के मोबाईल नम्बर के मध्य हुयी वार्ता में गणपत कहता है कि मै आज रवाना होके सुबह आ जाउंगा। कहा कि कन एक थैला है। लानो दोरा हो गयो। तो महिला ने पूछा कि क्या है इसमें तो गणपत बोला कि पैसा है। तो महिला मोटो रो छोलेड़े रो पैसा। तो गणपत बोला हां। तो महिला बोली के बात कर है। तो गणपत बोला कि बात तो सही कर है, रिस्क भी लाने की, 80 है। तो महिला बोली लाख। तो गणपत ने कहा कि हां। 05. दिनांक 31.05.2026 समय 13.44.09 पर गणपत के मोबाईल नम्बर एवं महिला तत्समय उपयोगकर्ता के मोबाईल नम्बर के मध्य हुयी वार्ता में महिला कहती है की पैसो की वजह डर लगता है। जिस पर गणपत कहता है कि सारे एक थैली में थोड़ी है। तो महिला बोली कि एक तो बड़ी थैली में है, एक छोटी थैली है, एक में 4 तो एक, 50-50 की पेटी अलग है। तो गणपत बोला कि मुझे तो याद है। तो महिला बोली कि एक ...भरो हुयो दियो थो, एक सरदार दे के गया वो अलग ही है, मुझे डर लागे। 06. दिनांक 01.06.2026 समय 17.08.42 पर सतपाल के मोबाईल नम्बर व किरण के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में किरण ने कहा कि सैम्पल दुर्गापुरा ही जायेंगें। तो दुर्गापुरा का सोर्स ढूंढना चालू करदे ना अभी से। तो सतपाल ने बताया कि सोर्स तो सेतिया है ना। 07. दिनांक 04.06.2026 समय 00.18.08 पर सतपाल के मोबाईल नम्बर व किरण के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में किरण ने कहा अपन ने एक बीस वहां दिया, 60 इधर दिया। एक अस्सी दिया है। जुगल को दिया है। तो सतपाल ने कहा कि एक अस्सी कहां दिया, एक अस्सी के अलावा भी 5-10 लाख खर्च कर चुके हैं। कल सुबह जुगल मिलता है तो कहना कि हम इस तरह से फंसे हुये हैं। तो किरण ने कहा कि जुगल ने क्या किया कि 1.20 तो वहां रख दिया। 60 एमएलए के पीए को दिया। अब जुगल ने क्या बोला आपको वो बताओ। तो सतपाल ने बताया कि उसने कहा कि मानसरोवर एरिया में आउंगा, अरावली इनकलेव करके जगह है, फ्लेट नम्बर 203ए या बी है। 08. दिनांक 04.06.2026 समय 11.56.07 पर सुनिल सेतिया के मोबाईल नम्बर व किरण के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में सुनिल सेतिया ने कहा कि टेंशन हो गई फोन नही उठा रहे थे। तो किरण ने बताया कि कोई बड़ा अफसर है वो, नाम तो बताया नहीं उसने। ...... आप उसकी टेन्शन मत लो। सैम्पल तो 3 महिने लैब में ही रहने दो। आप सिर्फ लेब मैनेज कर लो। 28 पास करने हैं और 4 फैल करने हैं। लेब में बोल देना खुद ही। 3-4 महीने में ठण्डा पड़ जायेगा मामला। आप तो गुजरात जाओ, सिर्फ लैब को मैनेज कर लेना, इसलिए एक जगह इसलिए भेजा है। सब लेब मैनेज करने में आप वैसे ही थक जाते। मैं होटल ही आ रहा हूं। पूरी वार्ता के अन्दर सुनिल सेतिया द्वारा सहमति दी जाती है। 09. दिनांक 04.06.2026 समय 12.28.39 पर किरण के मोबाईल नम्बर व तत्समय उपयोगकर्ता के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में किरण ने बोला कि 20 का नोट भेजा सुनिल जी के नबंर है ना इस नंबर पे ...लाख रूपये आ जाये तो तत्समय उपयोगकर्ता ने बोला कि जयपुर जिस पर किरण द्वारा हॉ कहकर सहमति दी जाती है। 10. दिनांक 04.06.2026 समय 20.36.31 पर सुनिल सेतिया के मोबाईल नम्बर व सुनिल सैनी के मोबाईल नम्बर के मध्य वार्ता में सुनिल सैनी ने कहा कि डाक्टर साहब का फ़ान आया था। आ गया था क्या तीन किलो तो सुनिल सेतिया ने कहा कि हां आ गया था। जिस पर सुनिल सैनी के कहा हां वो ही पूछ रहा था ना कि आ गया ना, टोकन का। आपके पास आया मेरे पास आया एक ही

बात है। तो सिग्नल दे दे ना अपन तो सुनिल सेतिया सहमति देता है। 11. दिनांक 06.06.2026 समय 19.29.33 पर जुगल के मोबाईल नम्बर व श्री स्वतंत्र के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई वार्ता में जुगल कहता है वो पेमन्ट है ना पुठी (वापस) देनी पड़ सकती है गंगानगर, सन्दीप वाला लफड़ा से सारा ही मामला उजागर हो गया, गंगानगर वाला पेमेन्ट मंत्री जी कुछ नही आया। कल सुबह जल्दी जाना पड़ सकता है। जाना बस में ही जिस पर स्वतंत्र सहमति देता है। इसके बाद जुगल स्वतंत्र से पैसो के हिसाब के में बारे बातचीत करते हुये 5 उनको दिया 5 नन्दराम को दिया। 10 ही निकाला। सेट कर कह देना 90 ही थे। इसमें किराडिया कुछ नही बोले। एक करोड 20 लाख क्लेकशन किया। जिसमें से 20 तो अधिकारी ही रख लिया। सुरजीत वगेरहा। जिस पर स्वतंत्र बोलता है कि बता देना मेरे को रात तक। इसके बाद जुगल स्वतंत्र को बीज की व्यवस्था के लिए कहता है। प्रकरण के तथ्यो से पाया गया कि दिनांक 06.06.2026 को ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त सूत्र सूचना प्रतिवेदन द्वारा श्री राजेष दुरेजा उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के तथ्यों यथा अन्तावरोध पर लिये गये व्यक्ति श्री जुगल के मोबाईल नम्बर श्री किरण कपाड़िया के मोबाईल नम्बर श्री भागीरथ के मोबाईल नम्बर श्री गणपत के मोबाईल नम्बर श्री सुनिल सेतिया के मोबाईल नम्बर श्री सतपाल के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ताए अनुसार तथा उक्त वार्ताओ में श्री किरण कपाड़िया से उनके गोदाम के मूंगफली के बीज बिक्री हेतु रिलीज करवाने/सैम्पल पास करवाने अथवा वापस गुजरात ले जाने तथा इस मामले को दबाने की एवज में श्री जुगल किशोर कथित निदेषक, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 1.20 करोड़ राषि प्रत्यक्ष/परोक्ष प्राप्त करने, श्री गणपत द्वारा राषि 60 लाख रूपये प्रत्यक्ष/परोक्ष राषि प्राप्त करने के तथ्य पाये गये। इस अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 07.06.26 को की गई आकस्मिक चैकिंग के दौरान श्री जुगल किषोर निदेषक राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने भांणजे श्री स्वतंत्र कुमार के माध्यम से अवैध राषि को श्रीगंगानगर अज्ञात व्यक्ति के पास भिजवाया जाने का भ्रष्ट आचारण करना प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया। इस पर प्रकरण में वांछित आरोपीगण (1) जुगल किशोर पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई, उम्र 42 साल, निवासी ए-4 सरला फॉर्म, बीछवाल बाईपास हुंसगसर, पुलिस थाना बीछवाल, जिला बीकानेर हाल निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड पंत कृषि भवन तृतीय मंजिल जयपुर (2) कपाड़िया किरणभाई नाराणभाई पुत्र श्री नाराणभाई जाति पटेल उम्र 50 साल निवासी कलपवरूप टाउनशिप बी-504 अपॉजिट यमूना वादी जांजड़ा रोड़ जूनागढ (गुजरात), (3) गणपत पुत्र श्री माणकराम, जाति बिश्नोई, उम्र 38 साल, निवासी गांव गोदावास, पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा (4) सतपालसिंह जज पुत्र श्री मन्जीतसिंह जाति कम्बोज सिख उम्र 41 साल निवासी ग्राम पोस्ट 08 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल सैक्टर नं. 05 आदर्श नगर (किरायेदार मकान शान्तीलाल छींपा) फलौदी जिला फलौदी (5) सुनिल कुमार सेतिया पुत्र श्री नत्थूराम सैतिया जाति अरोड़ा (पंजाबी) उम्र 46 साल निवासी 13/1002 मालवीय नगर जयपुर को ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार अलग-अलग एसीबी टीमो द्वारा डिटेनशुदा मन् जांच अधिकारी के समक्ष पेश करने पर उपरोक्त आरोपीगणो से पृथक-2 गहनता से अनुसंधान/जांच की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट पृथक से तैयार किया जाकर आरोपीगणो के उपरोक्त रिश्वती राशि 85 लाख में आरोपी स्वतंत्र कुमार ज्याणी के साथ सलिप्तता पायी जाने पर आरोपीगणो जुगल किशोर, कपाड़िया किरणभाई नाराणभाई, गणपत, सतपालसिंह जज, सुनिल कुमार सेतिया को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत कराया जाकर जरिये चैक लिस्ट पृथक-2 जरिये फर्दात गिरफ्तार किया गया। दौराने उपरोक्त कार्यवाही समस्त फर्दात विधिवत मुर्तीब की जाकर शामिल पत्रावली की गई, कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई जाकर विडियोग्राफी के मूल मेमोरी कोर्ड से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाये जाकर मूल मेमोरी कोर्ड एवं दो पैन ड्राईव को सील मोहर किया गया एवं एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। प्रकरण में जब्तषुदा संदिग्ध राषि के संबंध में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण व अन्य की भूमिका बाबत विस्तृत जांच/अनुसंधान जारी है। अब तक अन्तावरोध एवं चैकिग से प्राप्त तथ्यो के आधार पर पाया गया कि आरोपी जुगल किशोर निदेषक, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा कपाड़िया किरणभाई नाराणभाई डायरेक्टर फर्म करण एग्री जेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड जूनागढ(गुजरात) के मूंगफली के बीज गजराज ब्रांड जो जोधपुर स्थित कॉल्ड स्टोर में जमा था, को कृषि विभाग द्वारा अवैध भण्डारण मानकर बिक्री पर रोक लगा दी, जिसको बिक्री हेतु रिलीज करने एवं उसके सैम्पल पास करने अथवा वापस गुजरात ले जाने तथा इस मामले को दबाने की एवज में सतपालसिंह जज मैनेजर फर्म पंजाब एग्रीकल्चर स्टोर, नागौर रोड़ फलौदी एवं सुनील सेतिया मालिक फर्म सेतिया इन्टरप्राईजेज सीटी सेन्टर, संसारचन्द्र रोड़ जयपुर के मार्फत किरणभाई से रिश्वत/अवैध राषि की मांग की तथा किरण भाई द्वारा उपरोक्त आरोपी सतपाल सिंह व सुनील सेतिया के माध्यम से अवैध राषि जुगलकिशोर को पहूंचाना तथा प्राप्त रिश्वत/अवैध राषि में 85 लाख रूपये स्वतन्त्र कुमार से तथा आरोपी जुगल किशोर के घर से 1,60,17,810/-रूपये बरामद होने एवं उक्त प्रकरण में आरोपी गणपत बिश्नोई निवासी बालोतरा की भी प्रथम दृष्टया संलिप्त्ता होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपीगण (1) जुगल किशोर पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई, उम्र 42 साल, निवासी ए-4 सरला फॉर्म, बीछवाल बाईपास हुंसगसर, पुलिस थाना बीछवाल, जिला बीकानेर हाल निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल जयपुर (2) कपाड़िया किरणभाई नाराणभाई पुत्र श्री नाराणभाई

जाति पटेल उम्र 50 साल निवासी कलपवरूप टाउनशिप बी-504 अपॉजिट यमूना वादी जांजड़ा रोड़ जूनागढ डायरेक्टर फर्म करण एग्री जेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड जूनागढ(गुजरात) (3) गणपत पुत्र श्री माणकराम, जाति बिश्नोई, उम्र 38 साल, निवासी गांव गोदावास, पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा (4) सतपालसिंह जज पुत्र श्री मन्जीतसिंह जाति कम्बोज सिख उम्र 41 साल निवासी ग्राम पोस्ट 08 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल सैक्टर नं. 05 आदर्श नगर (किरायेदार मकान शान्तीलाल छींपा) फलौदी जिला फलौदी मैनेजर फर्म पंजाब एग्रीकल्चर स्टोर, नागौर रोड़ फलौदी (5) सुनिल कुमार सेतिया पुत्र श्री नत्थूराम सैतिया जाति अरोड़ा (पंजाबी) उम्र 46 साल निवासी 13/1002 मालवीय नगर जयपुर मालिक फर्म सेतिया इन्टरप्राईजेज सीटी सेन्टर, संसारचन्द्र रोड़ जयपुर (6) स्वतंत्र कुमार ज्याणी पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार ज्याणी उम्र 21 वर्ष जाति ज्याणी बिश्नोई पेशा पढाई निवासी 12 केएनडी पुलिस थाना रावला मण्डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल किराये का मकान नम्बर बी-35 गली नम्बर 05 तिलकनगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर एवं अन्य खिलाफ जुर्म धारा 7, 7ए, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018), 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाये जाने से आरोपीण के विरूद्ध उक्त धाराओ में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय (आशीष कुमार) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018), 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण (1) जुगल किशोर पुत्र श्री सतपाल जाति बिश्नोई, उम्र 42 साल, निवासी ए-4 सरला फॉर्म, बीछवाल बाईपास हुंसगसर, पुलिस थाना बीछवाल, जिला बीकानेर हाल निदेशक राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल जयपुर (2) कपाड़िया किरणभाई नाराणभाई पुत्र श्री नाराणभाई जाति पटेल उम्र 50 साल निवासी कलपवरूप टाउनशिप बी-504 अपॉजिट यमूना वादी जांजड़ा रोड़ जूनागढ डायरेक्टर फर्म करण एग्री जेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड जूनागढ(गुजरात) (3) गणपत पुत्र श्री माणकराम, जाति बिश्नोई, उम्र 38 साल, निवासी गांव गोदावास, पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा (4) सतपालसिंह जज पुत्र श्री मन्जीतसिंह जाति कम्बोज सिख उम्र 41 साल निवासी ग्राम पोस्ट 08 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल सैक्टर नं. 05 आदर्श नगर (किरायेदार मकान शान्तीलाल छींपा) फलौदी जिला फलौदी मैनेजर फर्म पंजाब एग्रीकल्चर स्टोर, नागौर रोड़ फलौदी (5) सुनिल कुमार सेतिया पुत्र श्री नत्थूराम सैतिया जाति अरोड़ा (पंजाबी) उम्र 46 साल निवासी 13/1002 मालवीय नगर जयपुर मालिक फर्म सेतिया इन्टरप्राईजेज सीटी सेन्टर, संसारचन्द्र रोड़ जयपुर (6) स्वतंत्र कुमार ज्याणी पुत्र स्व. श्री सुरेश कुमार ज्याणी उम्र 21 वर्ष जाति ज्याणी बिश्नोई पेशा पढाई निवासी 12 केएनडी पुलिस थाना रावला मण्डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल किराये का मकान नम्बर बी-35 गली नम्बर 05 तिलकनगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 144 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 946-49 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- महाप्रबन्धक,राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन, लिमिटेड, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MAHAVIR PRASAD SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 23:21:24

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1984 | | | | |
| 2 | Male | 1976 | | | | |
| 3 | Male | 1988 | | | | |
| 4 | Male | 1985 | | | | |
| 5 | Male | 1980 | | | | |
| 6 | Male | 2005 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)